

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05/10/2023

क्र. एफ IPI/5/0063/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स रमणीक पावर एण्ड एलॉयज प्रा. लि. औद्योगिक क्षेत्र सरंडी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट में रु. 168.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से सिलिको एलॉयज निर्माण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP23330) हेतु शासनादेश दिनांक 07.03.2023 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये -

1. अधोसंरचना सहायता - परियोजना हेतु आवश्यक 33/132 केव्ही विद्युत लाईन की व्यवस्था के संबंध में होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 5 करोड़ तक की जाये।
2. परियोजना हेतु पूर्व शासन आदेश दिनांक 07/03/2023 द्वारा स्वीकृत सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 05/10/2023

पृ. क्र. एफ IPI/5/0063/2023/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
4. कलेक्टर, जिला - बालाघाट ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स रमणीक पावर एण्ड एलॉयज प्रा. लि., मेन रोड जिला बालाघाट।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग